दिनांक 12.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 19/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की एक अभिनव तकनीकी पहल "Vision Safe Road: An Extra Mile For Accident Mitigation" का किया गया शुभारंभ

श्री राजीव कृष्णा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 12.11.2025 को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की एक अभिनव तकनीकी पहल **"Vision Safe Road: An Extra Mile For Accident Mitigation"** का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया।

पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक अभिनव तकनीकी पहल "Vision Safe Road: An Extra Mile For Accident Mitigation" प्रारंभ की गई है। इस पहल के अंतर्गत, कमिश्नरेट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख मार्गों पर चलने वाले भारी, मध्यम, हल्के एवं दोपहिया वाहनों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा (Maximum Speed Limit) को अब गूगल मैप पर लाइव प्रदर्शित और एकीकृत (Integrated) किया जा रहा है।

इस प्रणाली के लागू होने से वाहन चालक को 'नेविगेशन' करते समय अपने गूगल मैप पर वाहन की वास्तविक गति तथा मार्ग की अधिकतम निर्धारित गति सीमा एक साथ दिखाई देगी। इससे चालक को यह सहज रूप से ज्ञात हो सकेगा कि वह निर्धारित गति सीमा के भीतर वाहन चला रहा है अथवा निर्धारित गति सीमा से तेज वाहन चला रहा है। यह चेतावनी वाहन चालक को अपने वाहन की गति नियमित करने के लिए स्वतः प्रेरित करेगी।

इस परियोजना को साकार रूप देने हेतु Google India एवं Lepton Software Export & Research Pvt. Ltd., Gurugram के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री राजीव सर्राफ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), Lepton Software Export & Research Pvt. Ltd., गुरुग्राम, श्रीमती रोली अग्रवाल, India Head – Strategic Product Partnerships, Google India, तथा श्रीमती लक्ष्मी सिंह, आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा इस पहल के प्रभाव, उपयोगिता एवं भावी संभावनाओं पर विस्तृत विचार व्यक्त किए गए।

इस पहल के माध्यम से वाहन चालक को गूगल मैप नेविगेशन पर ही निर्धारित अधिकतम गति सीमा तथा अपने वाहन की वास्तविक गति एक साथ दिखाई देगी, जिससे चालक को यह बोध होगा कि वह निर्धारित सीमा से तेज या कम गति से वाहन चला रहा है।

यह तकनीकी नवाचार सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाने, ओवरस्पीडिंग पर नियंत्रण करने और यातायात अनुशासन को सुदृढ़ करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगा।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, महोदय ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि गूगल मैप आज एक 'वे ऑफ लाइफ' बन चुका है। नोएडा पुलिस की यह पहल समयानुकूल, प्रासंगिक और 'लाइफ-सेविंग इंटरवेंशन' है। भारत की डिजिटल क्रांति विश्व में अद्वितीय है, और पुलिस विभाग द्वारा तकनीक के इस प्रकार के उपयोग से समाज को सीधा लाभ प्राप्त होगा।

<u>पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के उद्बोधन के मुख्य बिन्दुः-</u>

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नेशनल हाइवे के तीन स्ट्रेचों पर चलाए गए अभियानों के परिणामस्वरूप उन हाइवे पर सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
2. उन्होंने कहा कि हमें यह विश्वास रखना होगा कि सड़क दुर्घटनाएँ सार्थक उपायो से कम की जा सकती हैं, और यह पहल उस दिशा में एक सशक्त कदम है।
3. 80–90% नागरिक नियमों का पालन करना चाहते हैं, किन्तु कई बार नियमों के प्रति स्पष्ट जानकारी का अभाव रहता है। यह पहल उस जानकारी के अभाव (information gap) को दूर करेगी।
4. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा गूगल को सुझाव दिया गया है कि स्पीड लिमिट एवं "Accident-Prone Area Alert" के मैप पर indication के साथ-साथ ऑडियो अलर्ट भी जोड़े जाएँ, जिससे चालक को समय रहते सचेत किया जा सके।
5. इस प्रकार के प्रयोग, तकनीक और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से सड़क दुर्घटना में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा नोएडा पुलिस के इस अभिनव प्रयोग की सराहना की गयी।

श्रीमती लक्ष्मी सिंह पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर ने कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में बताया कि सड़क दुर्घटनाओं का सबसे प्रमुख कारण तेज गति से वाहन चलाना है। यह वाहन चालक के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा के लिए भी घातक है। हर सड़क पर गति सीमा इसलिए तय की गई है ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। वाहन चालकों की जागरूकता हेतु इस नवीनतम तकनीकी पहल की शुरूआत की गई है, जिसकी सहायता से वाहन चालक अपनी निर्धारित गति से चल सकेंगे। यदि सभी लोग वाहन चलाते समय नियमों का पालन करेंगे, तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे।

श्री राजीव सर्राफ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), Lepton Software Export & Research Pvt. Ltd., गुरुग्राम ने अपने उद्बोधन में यह कहा कि प्रदेश में पहली बार इस प्रकार का data driven traffic management और जनजागरूकता का प्रयोग हो रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए enforcement के साथ ही जानकारी भी अत्यंत आवश्यक है।

श्रीमती रोली अग्रवाल, India Head–Strategic Product Partnerships, Google India ने कहा कि आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए गूगल इंडिया प्रदेश के समस्त जनपदों के ट्रैफिक विंग के साथ लोकल पार्टनरशिप करेगी।

मुख्यालय
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
PREMIER

ACCSOON

Vision : Safe Road
An extra mile for accidental mitigation

मुख्यालय
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
PREMIER

दिनांक 12.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 20/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर से वर्ष 2019 से फरार/वांछित रू0 50,000/- की पुरस्कार घोषित अभियुक्ता प्रियंका सिंह कमिश्नरेट लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांक 12-11-2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 412/2019 धारा-120(बी)/406/420/504/506 भा0द0वि0 में वर्ष 2019 से फरार/वांछित रू0 50,000/- की पुरस्कार घोषित अभियुक्ता प्रियंका सिंह को एल्डिको कालोनी, टॉवर नं0-10, रूम नं0-1205, सौभाग्यम अपार्टमेंट, थाना पी0जी0आई0 कमिश्नरेट लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरणः-

अभियुक्ता प्रियंका सिंह पत्नी राजेश कुमार सिंह निवासी-7/3, एक्सक्लूसिव बिहार सहारा स्टेट, थाना जानकीपुरम, लखनऊ हाल पता-एल्डिको कालोनी, टॉवर नं0-10, रूम नं0-1205, सौभाग्यम अपार्टमेंट, थाना पी0जी0आई0, कमिश्नरेट लखनऊ। उम्र-40 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-

एल्डिको कालोनी, टॉवर नं0-10, रूम नं0-1205, सौभाग्यम अपार्टमेंट, थाना पी0जी0आई0, लखनऊ दिनांकः 12-11-2025, समय 08:45 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा, एसटीएफ मुख्यालय के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ मुख्यालय टीम द्वारा कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 412/2019 में वांछित, रू0 50,000/- की पुरस्कार घोषित अभियुक्ता प्रियंका सिंह की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्ता प्रियंका सिंह, लखनऊ में लुक-छिपकर

रह रही है। प्राप्त सूचना पर उपनिरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, मय टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग के विवेचक उप निरीक्षक श्री मनोज कुमार मिश्रा, मय हमराह, कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर को साथ लेकर एल्डिको कालोनी, टॉवर नं0–10, रूम नं0–1205, सौभाग्यम अपार्टमेंट, थाना पी0जी0आई0, लखनऊ से अभियुक्ता प्रियंका सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता प्रियंका सिंह उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि वर्ष–2011 में जे0के0वी0 लैण्ड एण्ड डेवलपर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर नाम की कम्पनी मै अपने पति राजेश कुमार सिंह तथा दीपक शुक्ला पुत्र अरूण शुक्ला निवासी–राजकालोनी काशी गोमती, संयुक्त ग्रामीण बैंक के सामने पुराना एसबीआई लाइन बाजार, जनपद जौनपुर, आशीष श्रीवास्तव पुत्र गणेश शंकर श्रीवास्तव निवासी–नीलम कुंज एलआईजी 2/146 आवास विकास कालोनी योजना नं0–3 झूसी, थाना झूसी, प्रयागराज, दुर्गेश जयसवाल पुत्र घनश्याम जयसवाल निवासी–473/87/2 रूपपुर खदरा, हसनगंज, कमिश्नरेट लखनऊ, विक्रांत त्रिपाठी पुत्र स्व0 राम अवध त्रिपाठी निवासी–4/988 विकास नगर, कमिश्नरेट लखनऊ के द्वारा जनपद ललितपुर में जे0के0बी0 लैण्ड एण्ड डेवलपर्ष इन्फ्रास्टक्चर लि0 (ग्रुप ऑफ कम्पनीज़) के नाम से फस्ट फ्लोर सिने फिलेक्स, इलाइच चौहारा, जनपद ललितपुर में खोला गया, जिसके डायरेक्टर दीपक शुक्ला, आशीष श्रीवास्तव, असि0डायरेक्टर मै एवं मेरे पति राजेश कुमार सिंह, दुर्गेश जयसवाल, विक्रान्त त्रिपाठी थे। सभी ने मिलकर कम्पनी खोली तथा उक्त कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय जे0के0बी0 लैण्ड एण्ड डेवलपर्स इन्फ्रास्टक्चर लि0 (ग्रुप ऑफ कम्पनीज़), पता–16/34 फैन बैंक एवेन्यू हैवलाक रोड महात्मा गांधी मार्ग हजरतगंज, लखनऊ बताया।

उक्त गिरोह के द्वारा पीड़ितों को एजेंट के रूप में नौकरी दी गयी और उनसे अनुबंध किया गया, जिसपर मुकदमा उपरोक्त के पीड़ितो/वादीगणों द्वारा जनपद ललितपुर के व्यक्तियों के खाते उक्त कम्पनी में खुलवायें एवं एफ0डी0 आदि भी बनवाये गये। पासबुक एवं एफ0डी0 प्रमाणपत्र भी जारी किये गये और करोड़ों रूपये कम्पनी में जमा कराये गये। इसके उपरान्त रातों–रात उक्त कम्पनी समस्त कागजात लेकर जनपद ललितपुर से भाग गयी। जब लोगों को पैसा नही मिला और उनकों पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई तो पीड़ितों थाना कोतवाली, जनपद ललितपुर में मु0अ0सं0–412/2019 धारा–120(बी)/406/420/504/506 भादवि उक्त कम्पनी के डायरेक्टर दीपक शुक्ला आदि 06 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया।

पूर्व में इस अभियोग में दिनांक 29—06—2025 को इस कम्पनी के डायरेक्टर आषीष श्रीवास्तव को जनपद इन्दौर, म0प्र0 से गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्ता प्रियंका सिंह की गिरफ्तारी नही हो सकी थी, जिसपर पुलिस उपमहानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी द्वारा रू0 रू0 50,000—00 का पुरस्कार घोषित किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता प्रियंका सिंह उपरोक्त को थाना पी0जी0आई0 कमिश्नरेट लखनऊ में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना कोतवाली ललितपुर के विवेचक उ0नि0 मनोज कुमार मिश्रा के द्वारा की जायेगी।

अभियुक्ता प्रियंका सिंह पत्नी राजेश कुमार सिंह का ज्ञात आपराधिक इतिहासः—

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना व जनपद
1	263/2019	419/420/467/504/506 भादवि	थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2	653/2018	406/420/467/468/506 भादवि	थाना सिंगरा, कमिश्नरेट वाराणसी
3	126/2023	174ए भादवि	थाना सिंगरा, कमिश्नरेट वाराणसी
4	836/2020	406/420/504/506भादवि	कोतवाली गाजीपुर, जनपद गाजीपुर
5	505/2018	406/419/420/468 भादवि	थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर
6	124/2021	174ए भादवि	थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर
7	768/2022	406/419/420 भादवि	कोतवाली फतेहपुर, जनपद फतेहपुर।
8	367/2018	419/420/467/468/470/471 भादवि	कोतवाली भदोही, जनपद संत रविदास नगर
9	191/2021	174ए भादवि	कोतवाली भदोही, जनपद संत रविदास नगर
10	674/2017	406/409/419/420 भादवि	कोतवाली मऊ जनपद मऊ।
11	549/2020	174ए भादवि	कोतवाली मऊ जनपद मऊ।
12	15/2021	406/420/504/506 भादवि	कोतवाली नगर महोबा, जनपद महोबा।
13	240/2019	406/420 भादवि	कोतवाली नगर महोबा, जनपद महोबा।
14	365/2019	406/420/504/506 भादवि	कोतवाली नगर महोबा, जनपद महोबा।
15	309/2020	174ए भादवि	कोतवाली नगर महोबा, जनपद महोबा।

16	216/2018	406/409/420/506 भादवि	थाना गुडम्बा, कमिश्नरेट, लखनऊ।
17	325/2018	406/420 भादवि	थाना गुडम्बा, कमिश्नरेट, लखनऊ।
18	412/2019	120(बी)/406/420/504/506 भादवि	कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर।
19	713/2023	174ए भादवि	कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्जीय स्तर पर प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 197 जिन्दा कछुए बरामद

दि0–11–11–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को इटावा में अन्तर्राज्जीय प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए की तस्तरी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 197 जिन्दा कछुए बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– राकेश कश्यप पुत्र सियाराम कश्यप निवासी ग्राम वासनदाडी, पोस्ट नगरगंज, थाना बहेड़ी, तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली।

2– मुकेषवाला पुत्र विकासवाला निवासी शक्तिफार्म पोस्ट सितारगंज, थाना व तहसील सितारगंज, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।

बरामदगीः–

1– 01 अदद हुन्डई सेन्ट्रो सिल्वर कार यूके 04 जी 1573।

2– 197 जिन्दा कछुए

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–

दिनांक 11.11.2025 समय करीब 23:30PM बजे स्थान नगला करनाई कुसमरा सौरिख मार्ग, थाना किशनी, जनपद मैनपुरी।

विगत दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्जीय तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, एस0टी0एफ फील्ड इकाई कानपुर द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं को इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, से इकट्ठा करके कार में लोड करके मैनपुरी से उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड ले जा रहे हैं। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के क्रम में मुख्य आरक्षी अब्दुल कादिर व मुख्य आरक्षी सुशील दिवाकर एसटीएफ फील्ड इकाई कानपुर द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज किशनी से समन्वय स्थापित कर मुखबिर से प्राप्त सूचना पर कुसमरा सौरिख मार्ग के बीच वाहन चैकिंग के दौरान एक सिल्वर सेन्ट्रो कार को रोका गया, जिसमें 05 जूट के बोरो में 197 जीवित कछुओ बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तो से पूछताछ पर बताया गया, सेन्ट्रोकार न0 यूके 04 जी 1573 में 04 लोग सवार थे, जिसमें 02 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठा कर फरार हो गये, जिनका नाम अशोक पुत्र अज्ञात व कालीचरण पुत्र अज्ञात है। यह लोग निकटवर्ती जनपदो से कछुओं को इकट्ठा कर जनपद मैनपुरी के समीप सीमावर्ती क्षेत्र से लाद कर ला रहा था और इनको सितारगंज जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड ले जा रहे थे।

अभियुक्त मुकेशवाला पुत्र विकासवाला निवासी शक्तिफार्म पोस्ट सितारगंज थाना व तहसील सितारगंज, जिला उधमसिंह नगर ने बताया कि मैनपुरी के आस पास के क्षेत्र से कछुओं को एकत्रित करके कम रूपये में खरीद कर ले जाते हैं और सितारगंज, उत्तराखण्ड में दुगने दामो में बेच देते हैं। आज भी मैनपुरी के सीमा से ही कछुओ को खरीद कर ला रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा–09, 39, 48, 49बी, 50, 51, 57 व भारतीय वन अधि0 की धारा 52क, के अर्न्तगत क्षेत्रीय वन अधिकारी किशनी रेंज वन प्रभाग, मैनपुरी के सुपुर्द किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी मैनपुरी रेंज वन प्रभाग, द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

एसटीएफ–फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भंडारण एवं व्यापार करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11–11–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भंडारण एवं व्यापार करने वाले 04 अभियुक्तों को जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1– विभोर राणा पुत्र गण गजराज सिंह निवासी 2सी–3926ए, नियर गन्ना भवन, शास्त्री नगर, थाना सदर बाजार, सहारनपुर।

2– विशाल सिंह पुत्र गण गजराज सिंह निवासी 2सी–3926ए, नियर गन्ना भवन, शास्त्री नगर, थाना सदर बाजार, सहारनपुर।

3– बिट्टू कुमार पुत्र स्व. हरदेवा निवासी 49 अनमोल विहार कालोनी, शिव मंदिर के पास थाना–सदर बाजार जनपद सहारनपुर। स्थाई पता ग्राम अब्दुल्ला नगर, पो0 बनहेड़ा, थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर।।

4– सचिन कुमार पुत्र स्व. हरदेवा निवासी 49 अनमोल विहार कालोनी, शिव मंदिर के पास थाना–सदर बाजार जनपद सहारनपुर। स्थाई पता ग्राम अब्दुल्ला नगर, पो0 बनहेड़ा, थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी–</u>

1– 02 अदद पिस्टल

2– 10 अदद कारतूस

3– 04 अदद मोबाइल फोन।

4– काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक एवं भौतिक दस्तावेज

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–</u>

कचहरी रोड थाना सदर बाजार के पास गली में थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर। दिनांक 11–11–2025 समय लगभग 11.30 बजे दिन। (बिट्टू और सचिन उपरोक्त) क्राईम ब्रांच कार्यालय पुलिस लाइन सहारनपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर। दिनांक 11–11–2025 समय रात्रि लगभग 15.30 बजे। (विभोर राणा और विशाल सिंह उपरोक्त)

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भंडारण एवं व्यापार करने तथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश भेजे जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसकी रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–201 पीध्छः–पु–3–2024 दिनांकः12 फरवरी 2024 के द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग उ0प्र0 की संयुक्त जांच समिति का गठन किया गया था। जांच के दौरान भारी मात्रा में अवैध फेन्सेडिल कफ सिरप को बरामद कर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ में मु0अ0सं0–182/2024 धारा 420/467/468/471/34/120बी/201 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दी गई जांच के अनुपालन में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय, निरीक्षक आदित्य कुमार सिंह, मु0आ0 सुनील सिंह,

मु0आ0 गौरव सिंह, मु0आ0 प्रशान्त सिंह, मु0आ0 रणधीर सिंह, मु0आ0 अखिलेश कुमार, मु0आ0 शेरबहादुर की टीम द्वारा जनपद सहारनपुर में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एस0टी0एफ0 द्वारा अभियोग की विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्तगण विभोर राणा एवं विशाल सिंह पुत्रगण गजराज सिंह निवासी शास्त्री नगर थाना सदर बाजार, सहारनपुर को नोटिस दी गई थी परंतु जांच टीम के समक्ष उपस्थित न होने पर दिनांक 11–11–2025 को अंजू सहगल सहगल अस्पताल के पास सहारनपुर से पकड़ा गया तथा क्राइम ब्रांच कार्यालय सहारनपुर लाकर विस्तृत पूछताछ की गई। इसी दौरान सूचना प्राप्त होने पर इनके सहयोगी तथा फेन्सेडिल कफ सिरप के अवैध कारोबार में संलिप्त अभियुक्तगण बिट्टू कुमार एवं सचिन कुमार को समय करीब 11:30 बजे दिन में कचहरी रोड के पास गली में थाना सदर बाजार से गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की गई तो आभियुक्त विभोर राणा एवं विशाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 में अपनी फर्म जी0आर0 ट्रेडिंग सहारनपुर के नाम पर एबॉट कंपनी से सुपर डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया। एबॉट कंपनी की दवा फेन्सेडिल कफ सिरप को बांग्लादेश में नशे के रूप में काफी प्रयोग किया जाता है जिससे तस्करी करने वालों में काफी मांग रहती है हम लोगों ने अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपने परिचितों के नाम पर ड्रग लाइसेंस बनवाकर तथा उस पर फर्जी फर्म बनाकर कागजों में ही फेन्सेडिल की खरीद फरोख्त दिखाकर दवा को असली रिटेलर को न देकर नशे के रूप में प्रयोग करने के लिए बांग्लादेश तस्करी करने वाले गिरोह को दे देते थे और मोटा लाभ कमाते थे। वर्ष 2021 में जौनपुर, बनारस तथा मालदा में कई जगह एस0टी0एफ0 एवं एन0सी0बी0 द्वारा माल पकड़े जाने पर हम लोगों की फर्म जी0आर0 ट्रेडिंग एवं हमारे सहयोगी/कर्मचारी बिट्टू कुमार के नाम पर बनी फर्जी फर्म सचिन मेडिकोस का नाम आया और कई जगहों से नोटिस आना शुरू हो गई। वर्ष 2022 में एन0सी0बी0 वेस्ट बंगाल द्वारा विभोर राणा को गिरफ्तार भी किया गया था। वहाँ से छूटने के बाद हम लोगों ने जी0आर0 ट्रेडिंग से फेन्सेडिल का कारोबार बंद कर अपने यहां नौकरी करने वाले सचिन कुमार के नाम पर ड्रग लाइसेंस बनवाकर एबॉट कंपनी के अधिकारियों से मिलकर मारुति मेडिकोज को हरिद्वार उत्तराखंड की सुपर डिस्ट्रीब्यूशनशिप दिलवा दिया और सचिन तथा उसके भाई बिट्टू कुमार को उसमें प्रॉफिट देने का लालच दिया। करीब 6 महीने तक काम करने के बाद अप्रैल 2024 में एस0टी0एफ0 कीं आपकी टीम द्वारा लखनऊ में हम लोगों का माल पकड़ा गया तब मैंने अपने सहयोगी अभिषेक शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा

के नाम से दिल्ली में ए0बी0 फार्मास्यूटिकल्स के नाम से फर्म बनाई और उसके नाम से भी एबॉट कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी से मिलीभगत कर सुपर डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले ली और उसके माध्यम से फेन्सेडिल की तस्करी का काम करने लगे। मेरी तरह ही रांची का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर शैली ट्रैडर भी फेन्सेडिल की तस्करी में संलिप्त था।

इसी दौरान उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर एस0टी0एफ0 तथा खाद्य एवं सुरक्षा विभाग को फेन्सेडिल की तस्करी की सयुक्त जांच दिए जाने की जानकारी मिलने पर यू0पी एवं उत्तराखंड में मेरे ग्राहक फैंसेडिल लेने से मना करने लगे तब एबॉट कंपनी ने मेरे पास बचे फेन्सेडिल के भारी स्टॉक को वापस मँगा लिया और शैली ट्रैडर को करीब 100 करोड़ की फेन्सेडिल दे दी। दिसंबर 2024 में संभवतः जांच के कारण एबॉट ने फेन्सेडिल बनाना भी बंद कर दिया। मेरे पास कुछ बचे हुए मॉल में मेरे कर्मचारी अभिषेक शर्मा के नाम पर बनी फर्जी फर्म ए0बी0 फार्मास्यूटिकल्स का माल करीब एक सप्ताह पहले हमारे साथी सौरभ त्यागी के पास से गाजियाबाद में पकड़ा गया है। हम लोगों का पास इस समय विशाल सिंह के नाम पर बी0एन0 फार्मास्यूटीकल्स के ड्रग लाइसेंस पर एबॉट कंपनी की सी0एफ0ए0 की डीलर शिप है। विभोर राणा एवं विशाल सिंह ने फेन्सेडिल के अवैध तस्करी से अब तक करीब 200 करोड़ की अवैध संपत्ति आर्जित की है। विस्तृत पूछताछ से प्रकाश मे आए तथ्यों तथा उनके मोबाईल फोन से बरामद महत्वपूर्ण दस्तावेजों से अभियुक्तगण विभोर राणा और विशाल सिंह उपरोक्त को समय करीब 15रू30 बजे हिरासत में लिया गया। अभियुक्तगण बिट्टू कुमार एवं सचिन कुमार ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनों भाई विशाल सिंह एवं विभोर राणा के यहाँ काम करते हैं। इन लोगों ने पहले बिट्टू के नाम से सचिन मेडिकोज फर्म बनवाई और फेन्सेडिल कफ सिरप की बिहार, झारखण्ड के रास्ते हुए बांग्लादेश तस्करी कराने लगे। फिर कई जगह माल पकड़े जाने पर मुकदमों की नोटिस मिलने पर जी0आर0 ट्रेडिंग व सचिन मेडिकोज से काम बन्द कर दिया। फिर सचिन के नाम से एक फर्म मारूति मेडिकोज बनवाई तथा मुझे मुम्बई ले जाकर एबॉट हेल्थकेयर प्रा0लि0 का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनवा दिया और उसके एकाउन्ट में फर्जी फर्मों से रूपया ट्रान्सफर कराकर फेन्सेडिल कफ सिरप की खरीद फरोख्त सिर्फ कागजों में दिखा कर नशे के रूप में प्रयोग करने के लिए ऊँचे दामों में तस्करों को बेच देते हैं। मारूति मेडिकोज, सचिन मेडिकोज तथा अन्य नामों के बनी फर्जी फर्मों के यूजर नेम पासवर्ड तथा बैंक के यूजर नेम पासवर्ड इनका सहयोगी अभिषेक शर्मा अपने पास रखकर लेन देन करता था। फेन्सेडिल के अवैध व्यापार में एबॉट कंपनी के कुछ बड़े अधिकारीगण के अलावा विभोर राणा के कर्मचारी अभिषेक शर्मा, शुभम शर्मा, सचिन कुमार, बिट्टू, संदीप शर्मा, दीपक राणा, संजय शर्मा एवं सी0ए0 अरूण सिंघल आदि मिलकर सहयोग करते हैं।

गिरफ्तारशुदा चारों अभियुक्तों को मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट सहारनपुर के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट डिमांड प्राप्त किया गया है तथा सड़क मार्ग से लखनऊ लाया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0–182/2024 धारा 420/467/468/471/34/120बी/201 भा0द0वि0 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, कमिश्नरेट लखनऊ में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही एस0टी0एफ0 द्वारा की जाएगी।

जनपद बिजनौर/थाना नजीबाबाद

• पुलिस कार्यवाही में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की घटना का अनावरण

• लगभग 06 करोड़ रूपये कीमत की पीली–सफेद धातु के आभूषण एवं नगद रूपये आदि

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनॉकः 12.11.2025 को थाना नजीबाबाद, स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजनौर तिराहा से पूरनपुर रोड के पास नवनिर्मित कालोनी के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शुऐब घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशादेही पर अभियुक्त 2–जफर अली 3–रावेद 4–04 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर लगभग 06 करोड़ रूपये कीमत की पीली धातु (4 किलो 570.52 ग्राम) –सफेद धातु (08 किलो 700 ग्राम) के आभूषण आदि, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस एवं नगद रूपये आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना नजीबाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा वादी योगेश लाला की दूकान में चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नजीराबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शुऐब के विरूद्ध जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद पर चोरी, हत्या का

प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त जफर अली के विरूद्ध जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शुऐब निवासी मोहल्ला मछली बाजार कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2–जफर अली निवासी मोहल्ला सब्नीग्रान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3–रावेद निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

4–04 अभियुक्ता।

बरामदगी

1–लगभग 06 करोड़ रूपये कीमत की पीली धातु (4 किलो 570.52 ग्राम) –सफेद धातु (08 किलो 700 ग्राम) के आभूषण आदि

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–1

• 03 अभियुक्त गिरफ्तार

• लगभग 20 लाख रूपये कीमत के चोरी के सामान आदि बरामद

दिनांक 12.11.2025 को थाना फेस–1 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–14 नाले के पास से 03 अभियुक्तों 1–संजय 2–जितेन्द्र 3–लोकेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये कीमत के चोरी के सामान आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.10.2025 को थाना फेस–1 क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फेस–1 पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सामान चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त संजय शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद एटा के विभिन्न थानो में हत्या, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–1 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजय निवासी ग्राम पिलवा थाना कोतवाली एटा जनपद एटा।

2–जितेन्द्र निवासी ग्राम बड़ा गांव थाना पिलवा जनपद एटा।

3–लोकेश निवासी ग्राम नंगला भूड थाना अतरौली जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–लगभग 20 लाख रूपये कीमत के चोरी के सामान आदि।

- **कमिश्नरेट वाराणसी/थाना कैंट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 40–40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय वाराणसी द्वारा थाना कैंट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–विनोद 2–आशीष को आजीवन कारावास व 40–40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कुशीनगर/थाना बरवापट्टी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना बरवापट्टी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मन्टू को आजीवन कारावास व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बिजनौर/थाना किरतपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 62 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/504 भादवि, 3(2)5

एससी/एसटी एक्ट व 25(1)–बी(ए) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजन को आजीवन कारावास व 62 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना गजरौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना गजरौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 396 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–नजाकत 2–शहजाद को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————